

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस.

मु.नं. 18/23

दायर दिनांक 09.05.2023

निर्णय दिनांक 29.08.2025

श्री गौतम पुत्र अमरा भील उम्र वयस्क निवासी धाणी घटाऊ पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हुरमा पुत्र रूपजी भील उम्र वयस्क, निवासी धाणी घटाऊ पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री बसु पुत्र रूपजी भील उम्र वयस्क निवासी धाणी घटाऊ, पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती अमरी पत्नी बसु भील उम्र वयस्क निवासी धाणी घटाऊ, पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्री रमेश पुत्र बसु भील उम्र वयस्क, निवासी धाणी घटाऊ, पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
5. लीला पुत्री धीरा भील उम्र वयस्क निवासी धाणी घटाऊ, पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्री मोहन पुत्र हुरमा भील उम्र वयस्क निवासी धाणी घटाऊ, पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती पुंजी पत्नी मोहन भील उम्र वयस्क, उम्र वयस्क निवासी धाणी घटाऊ, पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्री सुरेश पुत्र मोहन भील उम्र वयस्क निवासी धाणी घटाऊ, पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
9. श्रीमती रेणुका पत्नी सुरेश भील उम्र वयस्क निवासी धाण घटाऊ, पटवार मण्डल फलोज तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)
10. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)

विपक्षी

अन्तर्गत रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 ¹²⁸ प्रार्थना—पत्र बाबत पत्थर गढी

उपस्थित :-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. श्री प्रेमपुरी गोस्वमी, अधिवक्ता | —प्रार्थी की ओर से |
| 2. शैलेश कुमार भण्डारी | —विपक्षीगण की ओर से |

—: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर प्रार्थना—पत्र रा. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 के तहत दिनांक 31.05.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम धाणी घटाऊ पटवार मण्डल फलोज के तहसील दोवडा के खसरा 498 , 510, 515, 715, 713, 718, 720, 914 किता 7 रकबा 0.6000 हैक्टेयर सहित मकान, वाडा, खलिहान की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड, नक्यशा एवं सर्वेक्षण यंत्रों से सर्वे कराई जाकर सीमाएँ कायम करायी जाकर वादी की भूमि घोषित किये जाने निवेदन किया है। उक्त आराजियात भूमि की सही एवं वास्तविक सीमाओं की जानकारी नही होने से भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि की रथाई एवं पुख्ता सीमाओं की

अधिकारी
डूंगरपुर

जानकारी हेतु पत्थर गढी चाहता है। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर जवाब चाहा गया। जवाब प्राप्त नही होने से जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सूनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और सरकार जरिये पेरोकार द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के अधिवक्तागण द्वारा वांछित भूमि की पत्थरगढी कराने सहमत हुये। ग्राम धाणी घटाऊ पटवार मण्डल फलोज के तहसील दोवडा के खसरा 498, 510, 515, 715, 713, 718, 720, 914 किता 7 रकबा 0.6000 हैक्टेयर बतौर खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जिसकी पत्थरगढी कराने प्रार्थी हकदार है।

लिहाजा ग्राम धाणी घटाऊ पटवार मण्डल फलोज के तहसील दोवडा के खसरा 498, 510, 515, 715, 713, 718, 720, 914 किता 7 रकबा 0.6000 हैक्टेयर पत्थरगढी किये जो के आदेश दिये जाते है। तहसीदार दोवडा संबंधित भू.अ. निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर बिना किसी अन्य खातेदार के डिस्टर्ब किये उक्त खसरों के सीमाओं की पत्थर गढी करावे। तहसीलदार दोवडा को नियमानुसार पत्थरगढी करने बाबत् लिखा जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(संजय कुमार आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर